प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के विकास खण्ड बाराकोट के अन्तर्गत सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर तक मोटर मार्ग का निर्माण।**

आज दिनाँक 26–02–2019 को निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट (एजेन्सी का नाम) के द्वारा सुतेड़ा से जमरेड़ी व कान्तेश्वर मोटर मार्ग बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री उत्तम नाथ, वनदरोगा राजस्व विभाग की ओर से श्री पवन जुकरिया, राजस्व उपनिरीक्षक, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री बी0बी0 पाण्डे, सहायक अभियन्ता, श्री हरीश कुँवर अपर सहायक अभियन्ता, विभागीय अमीन अन्य दावेदारों की ओर से श्री भवान राम, ग्राम प्रधान सुतेड़ा एवं अन्य जनप्रतिनिधि श्री दिवान सिंह बिश्ट क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्री नैन सिंह बिश्ट, बी0डी0सी0 सदस्य आदि के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया ।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है, उसमें 1000 (मी0) नाप भूमि रा, 3500 (मी0) सिविल वन भूमि सुतेड़ा 500 (मी0) नापभूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल 2.450 हे0 सिविल भूमि, की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 0.300 हे0 मलुवा निस्तारण हेतु कुल 2.750 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर/चुने गये स्थल पर किसी भी प्रजाति के कोई भी वृक्ष इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित नहीं होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित समरेखण में वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे हैं मार्ग के समरेखण में मात्र सिविल वन भूमि भूमि प्रभावित हो रही है।
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नही है ।
चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।
इस समरेखण पर मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु ग्रामवासियों की कुछ नाप भूमि एवं सिविल वन भूमि भूमि प्रस्तावित की गयी है, जो स्थल उपयुक्त पाये गये हैं।
अन्य आवश्यक विवरण :– उपरोक्तानुसार इस मार्ग में पड़ने वाले 2.750 हे0 वनभूमि प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित है। वनभूमि प्राप्त होने के पश्चात इस मार्ग का निर्माण कार्य कराया जायेगा। यह मार्ग सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है।

नोट– इस रिपोट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

हस्ताक्षर (प्रयोक्ता एजेन्सी) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (वन विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (राजस्व विभाग) प्रतिनिधि	हस्ताक्षर (जन प्रतिनिधि) प्रतिनिधि
सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० लोहाघाट	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत	राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र ____ तहसील ____	जिलाधिकारी चम्पावत
अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो० नि० वि० लोहाघाट (चम्पावत)	उप प्रभागीय वनाधिकारी लोहाघाट	उपजिलाधिकारी लोहाघाट	तहसीलदार बाराकोट
	वन क्षेत्राधिकारी काली कुमाऊँ रेन्ज चम्पावत वन प्रभाग		